

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग,
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर


// अधिसूचना //

नया रायपुर, दिनांक 11.05.18

क्रमांक एफ 10-6/2018/16 :- भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 के नियम 2 के खण्ड (च) एवं (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित अधिकारियों को भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का 28) के अन्तर्गत उनकी क्षेत्राधिकार के भीतर उपकर संग्रहक एवं निर्धारण अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात्:-

1. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण/छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग/पी.एच.ई./सिंचाई/आर.ई.एस.;
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर विकास प्राधिकरण/रायपुर विकास प्राधिकरण/छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल;
3. कार्यपालन अभियंता/अधीक्षण अभियंता/सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग;
4. मुख्य कार्यपालन अभियंता, आर.ई.एस.;
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग;
6. संयुक्त संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग;
7. सहायक संचालक/वन मण्डल अधिकारी, वन विभाग;
8. कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल/सी.आर.ई.डी.ए.;
9. मुख्य महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम;
10. खाद्य नियंत्रक/जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम, भारतीय खाद्य निगम, जिला कार्यालय;
11. उप संचालक, कृषि उपज मण्डी/नगरीय प्रशासन एवं विकास यांत्रिकी प्रकोष्ठ (नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद, नगरपालिक निगम);
12. पुलिस अधीक्षक, जनसंपर्क विभाग (पुलिस/छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल);
13. सहायक संचालक/संयुक्त संचालक, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश;
14. सहायक आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति;
15. जिला शिक्षा अधिकारी (डी.ई.ओ.), स्कूल शिक्षा विभाग;
16. परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग/जिला शहरी;
17. अधीक्षक भू अभिलेख, भू अभिलेख; और
18. जिला कलेक्टर, पर्यटन विभाग

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(दिव्या जैशवाल मिश्रा)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

निरंतर.....2

नया रायपुर, दिनांक 11.05.18

क्रमांक एफ 10-6/2018/16 :- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-6/2018/16, दिनांक 11.05.18 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल महोदय के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(दिव्या उमेश मिश्रा)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

NOTIFICATION

New Raipur, Date :- 11.05.18...

No. F-10-6/2018/16 :- In exercise of the powers conferred by clause (f) and (g) of Rule 2 of the Building and Other Construction Worker's Welfare Cess Rules, 1998, the State Government, hereby, appoints the following officers as Cess Collector and Assessing Officers under the Building and Other Construction Workers Welfare Cess Act, 1996 (No. 28 of 1996) within their jurisdiction, namely:-

1. Executive Engineer, Chhattisgarh Rural Road Development Agency/Chhattisgarh Water Resources Department/PHE/ Irrigation/R.E.S.;
2. Chief Executive Officer, Naya Raipur Development Authority/ Raipur Development Authority/Chhattisgarh Housing Board;
3. Executive Engineer/Superintending Engineer/Assistant Engineer, Public Works Department;
4. Chief Executive Engineer, R.E.S.;
5. Chief Medical and Health Officer, Public Health Engineering Department;
6. Joint Director, Department of Panchayat and Rural Development;
7. Assistant Director/Forest Officer, Forest Department;
8. Junior Engineer/Assistant Engineer, Chhattisgarh State Electricity Board/CREDA;
9. Chief General Manager, Chhattisgarh State Industrial Development Corporation;
10. Controller of Food/District Manager, Citizen Supply Corporation, Food Corporation of India, District Office;
11. Deputy Director, Krishi Upaj Mandi/Urban Administration and Development

निरंतर....3

Engineering Cell (Nagar Panchayat, Municipal Council, Municipal Corporation);

12. Superintendent of Police, Department of Public Relations (Police/Chhattisgarh Arm Forces);
13. Assistant Director/Joint Director, Directorate of Town and Village Investment;
14. Assistant Commissioner, Tribal and Scheduled Castes;
15. District Education Officer (D.E.O.), Department of School Education;
16. Project Officer, National Highways/District Urban
17. Superintendent of Land Records, Land Records; and
18. District Collector, Tourism Department.

**By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,**

(Divya Unesh Mishra)
Dy. Secretary

Govt. Of C.G., Labour Deptt

पू० क्रमांक एफ 10-6/2018/16

नया रायपुर, दिनांक 11.05.18

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम छ.ग. शासन, श्रम विभाग, नया रायपुर (छ०ग०)।
2. अध्यक्ष, छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर (छ.ग.)।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव समस्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन (छ०ग०)।
4. निज सचिव, विशेष सचिव छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर (छ०ग०)।
5. श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
6. समस्त कलेक्टर, जिला - (छ.ग.)।
7. सचिव, छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी (छ.ग.)।
9. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़ राजनांदगांव (छ०ग०) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित। कृपया राजपत्र की 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाईल।

(Divya Unesh Mishra)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग